

सं0सं0- 16/बी1.-06/2018 - 17 'ब' (आ.चि.)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अधीक्षक,  
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक - 14.9.2018

विषय:- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला, पटना, विपत्र कोड-20-2210021010002, माँग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल- 99,58,000/- (निन्यानवे लाख अठावन हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल- 99,58,000/- (निन्यानवे लाख अठावन हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 -2561/वि0(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि0 दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि0 दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं0 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला, पटना, विपत्र कोड-20-2210021010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना /अपर सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे0चि0) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे0चि0) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्यालय प्रधान का वेतन की निकासी करेंगे।


10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं0- 17 'ब' (आ.चि.)

/पटना, दिनांक - 14.9.2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा0 के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

विवरणी वित्तीय वर्ष 2018-19

0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	11240000	5620000	5620000	11240000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	1124000	562000	562000	1124000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	1800000	900000	900000	1800000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	396000	198000	198000	396000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	168000	84000	84000	168000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	8000	4000	4000	8000	0
	<b>योग (वेतन एवं भत्ता)</b>		<b>14736000</b>	<b>7368000</b>	<b>7368000</b>	<b>14736000</b>	<b>0</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	700000	700000	0	700000	0
8	यात्रा व्यय	11 01	10000	5000	5000	10000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	300000	150000	150000	300000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13 02					
			30000	15000	15000	30000	0
11	दूरभाष	13 03	10000	5000	5000	10000	0
12	विद्युत प्रभार	13 04	300000	150000	150000	300000	0
13	वर्दी पोशाक	13 06	30000	15000	15000	30000	0
14	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0
15	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	0	0	0	0	0
16	दवा भंडार	21 02	3500000	1750000	1750000	3500000	0
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	0	0	0	0	0
18	संविदा सेवायें	28 02	800000	400000	400000	800000	0
19	मशीन एवं उपस्कर	52 01	200000	100000	100000	200000	0
	<b>योग</b>		<b>5880000</b>	<b>3290000</b>	<b>2590000</b>	<b>5880000</b>	<b>0</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>20616000</b>	<b>10658000</b>	<b>9958000</b>	<b>20616000</b>	<b>0</b>

(निम्नानुवे लाख अंठावन हजार) रूपये मात्र

17 'ब' (आ. वि.)  
14. 9. 2018

14/9/18

सरकार के विशेष सचिव